प्रेस नोटः–

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक–24.04.2019

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग–

जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न–भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडीयों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **08 वाहनों से मु0– 1500 रू0 शमन शुल्क वसूल किया गया। शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।**

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से **कुल–04 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।**

02 वारण्टी अभियुक्तो के विरूद्ध पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तो के गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थानो द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तो को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 23.04.2019 को जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए कुल–03 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 60 लीटर कच्ची शराब बरामद की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है–

थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. दर्शन पुत्र दशरथ नि0 परसहना थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–156/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना खरगूपुर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. शिवशंकर सोनी पुत्र कन्हई लाल सोनी नि0 विशुनापुर बाजार थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–159/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना करनैलगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. वीर सिंह पुत्र नन्हें सिंह नि0 सोमपुर उत्तर सुईया थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–171/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना तरबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. अरूण सिंह पुत्र साधू सिंह, 02. यशवन्त सिंह पुत्र अमिरका सिंह नि0 तुलसीपुर माझा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से एक बोलेरो में 200 ली0 अवैध कच्ची शराब कर मु0अ0सं0–103/19, धारा 60/72 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

विवेचनाओं का निस्तारण–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण–दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल– 03 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

बरामदगी–

01. 260 ली0 अवैध कच्ची शराब।

सराहनीय प्रेस नोट मीडिया सेल जनपद गोण्डा दिनांक 24.04.2019

250 ग्राम चरस व चोरी की मोटरसाईकिल के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार–

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. सुनील कुमार पुत्र गुरू प्रसाद नि0 पिकौरा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–174/19, धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 250 ग्राम नाजायज चरस।
02. 01 अदद प्लेटिना मोटरसाईकिल।

संक्षिप्त विवरण–

उ0नि0 अनिल कुमार मिश्रा मय हमराह फोर्स के साथ क्षेत्र भ्रमण, विवेचना पर मामूर थे कि नरेन्द्रपुर मोड से उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 250 ग्राम नाजायज चरस व मु0अ0सं0–173/19 धारा 379 भादवि से सम्बन्धित चोरी की बाइक बरामद कर अभियुक्त को सम्बन्धित अभियोग के तहत माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 अनिल कुमार मिश्रा।
02. का0 राजेश जायसवाल।
03. का0 विकास उपाध्याय।

थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा छेडखानी करने के आरोपी अभियुक्त को किया गिरफ्तार–

गोण्डा। मंगलवार जनपद गोण्डा के थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा छेड़छाड़ करने के आरोपी अभियुक्त– ठाकुर प्रसाद पुत्र लाल मास्टर नि0 कलवारी थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा को थाना कटराबाजार पर पंजीकृत मु0अ0सं0–100/19 धारा–354.452 भा0द0वि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त पर दिनांक 20.04.2019 को थाना कटराबाजार क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिक लड़की के साथ छेड़खानी करने का आरोप है। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता के पिता द्वारा थाना कटराबाजार पर उक्त अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें कटराबाजार पुलिस द्वारा उक्त आरोपी अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर कस्बा कटराबाजार से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।